

प्रमाणित  
खारीक कथा

श्रीका  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

13.06.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण  
प्रतिवादीगण की तलबी विचाराधीन है। अधिवक्ता  
वादीगण को तलबी हेतु पर्याप्त अवसर दिए  
जाने के बावजूद अधिवक्ता वादीगण एवं  
वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण  
नहीं करवाई गई है।  
इससे स्पष्ट है कि वादीगण एवं अधिवक्ता  
वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं।  
लिहाजा आदेशिका दिनांक 05.06.25  
की पालना में वादीगण का वाद अदम पालना  
में इसी स्तर पर आदेश 09 नियम OSCPC  
के तहत खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुभार होकर दायित्व दफ्तर  
दो व नंबर से कम हो।

श्रीका  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

